

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 269 सन 2019

अनवान :-

1. भीमसैन पुत्र श्री सुभाष जाति नाई निवासी जमाल तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. सुभाष पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी जमाल तहसील नाथुसरी चौपटा
2. सुलेन्द्र कुमार पुत्र सुभाष जाति नाई निवासी जमाल तहसील नाथुसरी चोपटा
3. कलावती पत्नी सुभाष जाति नाई निवासी जमाल तहसील नाथुसरी चोपटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 28/08/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 92/89 के कुल क्षेत्रफल 4.7817 हैब में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनीराम वल्द मखन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मनीराम वल्द मखन का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनीराम वल्द मखन के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी नहीं है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मनीराम वल्द मखन के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की माता है ने निवेदन किया की उसका पति प्रतिवादी संख्या 1 है जिसके जीवनकाल में उसका वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 92/89 के कुल क्षेत्रफल 4.

7817हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनीराम वल्द मखन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मनीराम वल्द मखन का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनीराम वल्द मखन के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी नहीं है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 92/89 के कुल क्षेत्रफल 4.7817हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के मुल प्रविष्टी से साबित है।


जमाबन्दी सम्वत 2071 से 274 के अनुसार उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनीराम वल्द मखन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मनीराम वल्द मखन का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनीराम वल्द मखन के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा मनीराम पुत्र मखन के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मनीराम पुत्र मखन के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या- 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 92/89 के कुल क्षेत्रफल 4.7817हैक् में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्दा दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/01/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्ध सिंह पुरोहित ( आर.ए.एस )

अनवान :-

1. भीमसैन पुत्र श्री सुभाष जाति नाई निवासी जमाल तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. सुभाष पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी जमाल तहसील नाथुसरी चोपटा
2. सुलेन्द्र कुमार पुत्र सुभाष जाति नाई निवासी जमाल तहसील नाथुसरी चोपटा
3. कलावती पत्नी सुभाष जाति नाई निवासी जमाल तहसील नाथुसरी चोपटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 269 सन 2019 निर्णय दिनांक- 28/08/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 92/89 के कुल क्षेत्रफल 4.7817 हैक् में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/08/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
हनुमानगढ